जिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 623] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 1971/अग्रहायण 27, 1893

No. 623] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1971/AGRAHAYANA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### ORDERS

*New Delhi, the 18th December 1971*

**S.O. 5509.**—In exercise of the powers conferred by rule 133 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby appoints Shri M. K. Rangachari, Custodian of Enemy Property for India, Bombay, as Controller of Enemy Trading.

[No. 12/25/71-EI&EP.]

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1971

**एस० ओ० 5509.**—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एम० के०, रंगाचारी, भारत के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई को शत्रु के साथ व्यापार के नियंत्रक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 12(25)/71-ई०आई०ई०पी०]

**S.O. 5510**—In exercise of the powers conferred by rule 140 of the Defence of India Rules. 1971, the Central Government hereby appoints Shri M. K. Rangachari, Custodian of Enemy Property for India, Bombay, as Controller of Enemy Firms.

[No. 12/25/71-EI&EP.]

**एस० ओ० 5510.**—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 140 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री एम०के० रंगाचारी, भारत के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई को, शत्रु-फर्मों के नियंत्रक के रूप में, एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 12(25)/71-ई० आई० ई० पी०]

**S.O. 5511.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 151 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby directs that all enemy property as defined in clause (4) of rule 138 of the said rules, whether moveable and immoveable, and belonging to or held by or managed on behalf of—

(i) an enemy as defined in clauses (b) and (c) of rule 130 of the said rules; or

(ii) an enemy subject as defined in clause (3) of rule 138 of the said rules,

shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

[No. 12/25/71-EI&EP.]

**एस० ओ० 5511.**—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 151 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त नियम के नियम 138 के खण्ड (4) में यथापरिभाषित और—

(i) उक्त नियम के नियम 130 के खण्ड (ख) और (ग) में यथापरिभाषित किसी शत्रु, या

(ii) उक्त नियम के नियम 138 के खण्ड (5) में यथापरिभाषित किसी शत्रु-नागरिक, की या उसके द्वारा धारित या उसकी ओर से प्रबंधित सभी शत्रु-सम्पत्ति, चाहे जंगम या स्थावर, भारत के शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक में निहित की जाएगी ।

[सं० 12(25)/71-ई० आई०ई०पी०]

**S.O. 5512.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 151 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby appoints Shri M. K. Rangachari, Custodian of Enemy Property for India, Bombay, as Custodian of Enemy Property for India, and Shri Mohinder Singh, Assistant Custodian of Enemy Property, Bombay, as Assistant Custodian of Enemy Property.

[No. 12/25/71-EI&EP.]

**एस० ओ० 5512.**—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 151 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री एम० के० रंगाचारी, भारत शत्रु-संपत्ति, अभिरक्षक, मुम्बई को भारत के शत्रु-संपत्ति अभिरक्षक के रूप में और श्री मोहिन्दर सिंह, शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक, मुम्बई को शत्रु-संपत्ति सहायक अभिरक्षक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 12(25)/71-ई० आई० ई० पी०]

**S.O. 5513.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 158 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby appoints Shri M. K. Rangachari, Custodian of Enemy Property for India, Bombay, as Custodian

of Migrant Property for India and Shri Mohinder Singh, Assistant Custodian of Enemy Property, as Assistant Custodian of Migrant Property.

[No. 12/25/71-EI&EP.]

Y. T. SHAH, Addl. Secy.

**एस० ओ०** 5513.—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम, 158 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री एम० के० रंगाचारी, भारत के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई को भारत के प्रवासी अभिरक्षक के रूप में और श्री गाहिन्दर सिंह, शत्रु-सम्पत्ति सहायक अभिरक्षक, मुम्बई को प्रवासी सहायक अभिरक्षक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० 12/25/71-ई० अ ई० ई० पी०]

वाई० टी० शाह, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971.